

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जिला इन्दौर म0प्र

कमांक / 223/स्थापना /2/2025

इन्दौर,दिनांक 01/02/2025

आदेश

प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से जिले में पदस्थ राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य निम्नानुसार कार्य विभाजन किया जाता है :-

क.	अधिकारी का नाम	प्रभार का विवरण
1	2	3
1	श्री नीरज खरे, संयुक्त कलेक्टर एवं अविअ खुडैल	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :-अनुभाग खुडैल 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील खुडैल के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील खुडैल विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी म.प्र.प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी 2- दाण्डिक कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार खुडैल थाना खुडैल थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे। म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3- विविध अन्य प्रभार:- पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण। शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र। विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार। म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम। जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
2	डॉ. निधि वर्मा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- मल्हारगंज 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील मल्हारगंज के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील मल्हारगंज विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी 2- दण्डिक कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार क्षेत्र मल्हारगंज थाना:- 1 मल्हारगंज 2.सदर बाजार 3.एरोडूम 4.सराफा .पढरीनाथ 6.छत्रीपुरा 7.गांधीनगर 8.बाणगंगा 9.हीरानगर 10 परदेशीपुरा म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण उपर्युक्त अनुभाग मल्हारगंज क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3- विविध अन्य प्रभार:- पी0सी0एण्ड पी0एन0डी0टी0एक्ट1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण। म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम। शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र।

3	श्री ओमनारायण बडकुल, संयुक्त कलेक्टर	विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
		अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- कनाडिया
		1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण
		म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील कनाडिया के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन।
		म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील कनाडिया
		विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।
		म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग।
		लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग।
		वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य।
		नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी।
		क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट।
		क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी
		क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी
		म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी
		2- दाण्डिक कार्य
		दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार कनाडिया थाना- 1. विजयनगर, 2. एम.आई.जी. 3. लसूडिया 4. खजराना 5. कनाडिया 6. तिलकनगर
		1. थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे।
		2. म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।
		3. मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु।
		4 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण
		उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
		3- विविध अन्य प्रभार:-
		पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण।
		म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम।
		शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र।
		विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार।

		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
4	श्री अजय भूषण शुक्ला, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी : भिचौली हप्सी 1— राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील भिचौलीहप्सी के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील भिचौली हप्सी। विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी 2— दण्डिक कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार भिचौली हप्सी थाना— संयोगितागंज, पलासिया, छोटी ग्वालटोली, आजादनगर, तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे। म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3— विविध अन्य प्रभार:— पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण। म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम। शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र। विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार। जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।

		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
5	श्री प्रदीप कुमार सोनी, संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- जूनी इन्दौर 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील जूनी इन्दौर के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील जूनी इन्दौर। विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी 2- दाण्डिक कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार जूनी इन्दौर थाना- जूनी इन्दौर, रावजी बाजार, भंवरकुआ, तुकोगंज, एम.जी. रोड़, सेण्ट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे। म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3- विविध अन्य प्रभार:- पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण। म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम। शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र। विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार। जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।

		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
6	श्री राकेश परमार संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- डा. अम्बेडकरनगर महु 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील महु के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील महु विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। म.प्र.स्थापन नियन्त्रण अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी 2- दाण्डिक कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार महु थाना- महु, किशनगंज, सिमरोल, मानपुर, बडगोंदा 1. थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे। 2. म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। 3. मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। 4 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3- विविध अन्य प्रभार :- 1 भू-अर्जन अधिकारी (रक्षा सम्पदा) अनुभाग महु पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम। जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र।

		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण।
		प्रशासक स्वामी विवेकानन्द तकनीकी संस्थान
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
7	श्री गोपाल वर्मा संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी : राऊ
		1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण
		म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील राऊ के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन।
		म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील राऊ
		म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग।
		लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग।
		वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य।
		नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी।
		विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।
		क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट।
		क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी
		क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी
		म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी
		2- दाण्डिक कार्य
		दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार राऊ
		थाना- राऊ,द्वारकापुरी,अन्नपूर्णा,चन्दननगर राजेन्द्रनगर
		थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे।
		म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।
		मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु।
		25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण।
		उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
		4- विविध अन्य प्रभार:-
		पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण।
		म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम।
		शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र।
		विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।

		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
8	श्री धनश्याम धनगर संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- सांवेर 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील सांवेर के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील सांवेर विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग। म0प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग। लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग। वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य। नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी। क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट। क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी 2- दाण्डिक कार्य दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार ग्रामीण क्षेत्र सांवेर थाना :- सांवेर, क्षिप्रा,चन्द्रावतीगंज म0प्र0 दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत। मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु। 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण उपर्युक्त अनुभाग सांवेर नगर क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य। अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना। 3- विविध अन्य प्रभार:- पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण। म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम। जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
9	श्री राकेश मोहन त्रिपाठी संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :-अनुभाग देपालपुर 1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील देपालपुर के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील देपालपुर

		विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।
		म०प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग।
		लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग।
		वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य।
		कॉलोनी सेल से संबंधित कार्य।
		नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी।
		क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट।
		क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी
		क्षेत्रान्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
		म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी
		2- दाण्डिक कार्य
		दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार अनुभाग देपालपुर थाना बेटमा, देपालपुर, गौतमपुरा
		थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे।
		म०प्र० दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।
		मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु।
		25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण
		उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड से सम्बन्धित कार्य।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
		3- विविध अन्य प्रभार:-
		पी.सी. एण्ड पी.एन.डी.टी. एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना
		सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी कार्य एवं नियंत्रण।
		म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
10	श्री रवि वर्मा संयुक्त कलेक्टर	अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी :- हातोद
		1- राजस्व प्रकरणों का निराकरण
		म.प्र.भू-रा.सं.1959 की धारा 22 के अन्तर्गत तहसील हातोद के अनुविभागीय अधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहन।
		म०प्र० भू-राजस्व संहिता-1959 की धारा 59 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी की शक्तियों का उपयोग तहसील हातोद
		विभिन्न विधि-विधान एवं परिपत्रों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग।
		म०प्र.सार्वजनिक भवन तथा स्थान विनियम अधिनियम-1984 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार/शक्तियों का उपयोग।

		लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में उपयोग।
		वक्फ बोर्ड संबंधी कार्य।
		नजूल अधिकारी एवं नजूल जांच अधिकारी।
		क्षेत्रान्तर्गत रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट।
		क्षेत्रान्तर्गत न्याय शुल्क वापसी
		क्षेत्रान्तर्गत भाडा नियंत्रण अधिकारी
		म.प्र. प्रकोष्ठ स्वामित्व अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी
		2- दाण्डिक कार्य
		दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार हातोद थाना- हातोद
		1. थाना क्षेत्र के लिए समस्त कार्य संपादित करेंगे तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत निरोधात्मक धाराओं के क्रियान्वयन के प्रभारी अधिकारी होंगे।
		2. म०प्र० दुकान स्थापना अधिनियम 1958 की धारा 51 (ख) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग अपने अधिकार क्षेत्र थानों के अंतर्गत।
		3. मध्यप्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की धारा 7 के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन संबंधी प्रकरणों में अभियोजन की स्वीकृति हेतु।
		4 25 पुलिस/आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत लावारिस एवं लादावा संपत्ति का निराकरण
		उपर्युक्त अनुभाग क्षेत्र अन्तर्गत के बीपीएल कार्ड कार्य।
		अपने प्रभार के क्षेत्र के जाति प्रमाण पत्र जारी करना।
		3- विविध अन्य प्रभार:-
		पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी.एक्ट 1984 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
		म.प्र. वृद्धजन भरण-पोषण अधिनियम।
		सार्वजनिक वितरण संबंधी कार्य एवं नियंत्रण।
		शस्त्र लायसेंस हेतु अनुशंसा पत्र।
		विशेष विवाह अधिनियम हेतु पत्राचार।
		जल उपभोक्ता, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना।
		कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
11	श्री विजय कुमार मंडलोई संयुक्त कलेक्टर	प्रभारी अधिकारी शिकायत शाखा, प्रभारी मंत्री, एवं अन्य मंत्री, तथा संभाग आयुक्त से प्राप्त शिकायतों का निराकरण विभागीय जांच शाखा एसीड अनुमति प्रेस रजिस्ट्रीकरण आपदा प्रबंधन अनुज्ञप्ति शाखा पेट्रोलियम एवं एक्सप्लोसिव के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना नागरिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य विधानसभा प्रश्नों के सहायक नोडल अधिकारी भारतीय रेडक्रास सोसायटी शाखा लोकपरिसम्पत्ति (पीएएम) भू-अर्जन शाखा

12	श्री चरणजीत सिंह हुंडा प्रभारी डिप्टी कलेक्टर	प्रोटोकॉल शाखा(सत्कार शाखा)
13	श्रीमती रोशनी वर्धमान संयुक्त कलेक्टर	प्रभारी अधिकारी कॉलोनी सेल शाखा इन्दौर सी.एम. आर. फाउन्डेशन सम्बन्धी कार्य पी.सी. एन्ड. पी. एन.डी.टी.एक्ट शाखा नोडल अधिकारी:-म.प्र. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन राज्य बिमारी सहायक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रकरण राहत शाखा जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान स्लम रिहेबिलिटेशन(बस्ती उन्मूलन) वरिष्ठ शाखा रोगी कल्याण चिकित्सालय स्वास्थ्य अर्बन हेल्थ मध्यस्थता सेल
14	श्री विनोद राठौर प्रभारी डिप्टी कलेक्टर	प्रभारी अधिकारी :- नजूल शाखा राष्ट्रीय प्राधिकरण भू-अर्जन के मुआवजा प्रकरणों का भुगतान ई -गवर्नेंस शाखा ब्रिस्क, संस्थागत वित्त,अल्प बचत , चिडफन्ड लोक सेवा गारंटी लोक सूचना अधिकारी शाखा लोकायुक्त अर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा लोकलबॉडी शाखा जे.एम.एफ.सी शाखा जे.सी. शाखा मुकदमा नीति

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(आशीष सिंह)

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला इन्दौर

पृष्ठांकन क्रमांक / 224 /स्थापना/2/2025

इन्दौर दिनांक 01/02/2025

प्रतिलिपि:-

- 1/ सचिव,मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
- 2/ आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
- 3/ पुलिस आयुक्त, जिला इन्दौर।
- 4/ आयुक्त नगर पालिक निगम इन्दौर।
- 5/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, इन्दौर।
- 6/ अपर कलेक्टर, 1, 2,3,4,5 इन्दौर की और सूचनार्थ।
- 7/ समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ————— को सूचनार्थ।
- 8/ संयुक्त संचालक, जनसंपर्क विभाग इन्दौर।
- 9/ उप जिला निर्वाचन अधिकारी, इन्दौर।
- 10/ जिला राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान केन्द्र कलेक्टोरेट इन्दौर।
- 11/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ई-गवर्नेंस कलेक्टोरेट इन्दौर।
- 12/ जिला प्रबंधक, लोक सेवा गारंटी, कलेक्टोरेट इन्दौर।
- 13/ सम्बन्धित श्री —————को पालनार्थ।



- 14/ समस्त तहसीलदार तहसील ----- की और सूचनार्थ।
15/ निज सहायक, कलेक्टर जिला इन्दौर।
16/ कार्यालय अधीक्षक, कलेक्टोरेट जिला इन्दौर।
17/ सहायक अधीक्षक (राजस्व/सामान्य) कलेक्टोरेट जिला इन्दौर।
18/ गार्ड फाईल ।


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
जिला इन्दौर